

## नए नाइलिट केंद्रों की स्थापना हेतु नीति

	नाइलिट केंद्र	विस्तार केंद्र
राज्यवार केंद्र	प्रत्येक राज्य/ कें.शा. प्रदेश में एक	2-3, राज्य/कें.शा. प्रदेश के आकार एवं जनसंख्या पर आधारित।
स्थान	न्यूनतम 25 लाख जनसंख्या के साथ राज्य की राजधानी अथवा शहरों में।	न्यूनतम 5 लाख जनसंख्या के साथ शहरों में।
निर्मित क्षेत्रफल	राज्य सरकार द्वारा निशुल्क 8,000-10,000 वर्ग फुट क्षेत्र उपलब्ध कराया जाना है।	राज्य सरकार द्वारा निशुल्क 3,000-4,000 वर्ग फुट क्षेत्र उपलब्ध कराया जाना है।
स्थायी परिसर	निर्मित क्षेत्र से, केवल प्रारम्भिक संचालन के आरंभिक 3 वर्षों में केंद्र/प्रसार केंद्र के प्रदर्शन के आधार पर।	
भूमि, यदि स्थायी परिसर की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।	नाइलिट केंद्र हेतु राज्य सरकार द्वारा निशुल्क 3-5 एकड़ भूमि।	प्रसार केंद्र हेतु राज्य सरकार द्वारा निशुल्क 1-2 एकड़।
भूमि-स्थान	राज्य सरकार द्वारा नगर की नगरपालिका की सीमाओं के भीतर अथवा नगरपालिका के बाहर 02 कि.मी. की सीमाओं के भीतर, स्थल पर पहुँच-मार्ग, बिजली तथा पानी इत्यादि की उपलब्धता के साथ।	
फंडिंग सपोर्ट	डीआईटीवाई से प्रारम्भिक 3-5 वर्षों के लिए, (परियोजना कार्यान्वयन अवधि (प्रारंभिक चरण) के दौरान, (नाइलिट राजस्व प्राप्त अथवा अपने स्वयं के परिसर के माध्यम से आवर्ती लागत से 10% का सहयोग करेगा।	
जनशक्ति	<ul style="list-style-type: none"> <li>अन्य नाइलिट केंद्रों से स्थानांतरण के माध्यम से 2-3 नियमित जनशक्ति। अनुबंध को छोड़कर।</li> <li>समिति द्वारा परियोजना से जुड़ी हुई जनशक्ति (एसएफसी/इएफसी जो, वित्त अनुभाग के नामांकित व्यक्ति हैं) के अनुमोदन को माना जा सकता है। ताकि, वे डीओपीटी/एमओएफ द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध से लिंक न करे।</li> </ul>	
परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य सरकार द्वारा अथवा परियोजना के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है।</li> <li>परियोजना से जुड़ी हुई बस एवं ट्रांसपोर्ट वाहनों को उपकरण के रूप में अनुमोदित माना जा सकता है, ताकि, नए वाहनों की खरीद अथवा बस, जो किराए पर ली जा सकती है, के प्रावधान हेतु व्यय विभाग द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध से लिंक न करे।</li> </ul>	
केंद्र प्रारंभ करने हेतु उपयुक्त स्थान का आकलन।	नाइलिट, इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी से समिति के सदस्य तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्थान की उपयुक्तता का आकलन करेंगे तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो केंद्र/ प्रसार केंद्रों के स्थापना हेतु फंडिंग सपोर्ट हेतु एमआईटी को प्रस्तुत किया जाएगा, के प्रस्ताव पर आधारित होगी।	